भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1757

18 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन के लगी इकाइयॉ

1757. श्री मिथलेश कुमार :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में इस्पात उत्पादन में लगी इकाइयों का ब्यौरा क्या है और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां सरकारी और निजी इकाइयां इस्पात का उत्पादन कर रही हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस्पात उत्पादन में सुधार और वृद्धि हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (ख) : वर्ष 2022-23 के दौरान क्रूड इस्पात का उत्पादन करने वाली इस्पात इकाइयों (सार्वजनिक एवं निजी) का राज्य-वार ब्यौरा (संख्या एवं क्षमता) **अनुलग्नक** में है ।

(ग) : इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। इस्पात उत्पादन में वृद्धि से संबंधित निर्णय अलग-अलग कंपनियों (सार्वजनिक और निजी, दोनों) द्वारा बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं। हालांकि, देश में इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

i. सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

ii. घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

iii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण तथा आयात को रोकने और जनसाधारण के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

iv. भारत के इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) सहित इस्पात उत्पादों तथा कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।

v. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

vi. इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है जिससे अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलता है। इससे इस्पात की मांग में वृद्धि होने की आशा है। अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के साथ यह उपाय भी किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस्पात एवं अन्य निर्माण सामग्रियों की मांग बढ़ेगी।

******

अनुलग्नक

क्रूड इस्पात: राज्य-वार, क्षेत्र-वार परिदृश्य, 2022-23

क) निजी क्षेत्र			
		('000टन)	('000टन)
राज्य	**इकाइयां**	**क्षमता**	**उत्पादन**
पूर्वी क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	3	130	40
असम	6	147	66
बिहार	11	794	576
झारखंड	26	16684	14047
मेघालय	7	236	73
ओडिशा	53	20877	19359
त्रिपुरा	1	30	12
पश्चिम बंगाल	43	6673	5258
पूर्वी क्षेत्र कुल	**150**	**45571**	**39431**
पश्चिमी क्षेत्र			
छत्तीसगढ़	95	15771	10694
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	17	338	318
गोवा	10	538	407
गुजरात	73	14008	8628
मध्य प्रदेश	12	877	644
महाराष्ट्र	60	18134	13810
पश्चिमी क्षेत्र कुल	**267**	**49666**	**34501**
उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	1	7	6
हरियाणा	21	1097	833
हिमाचल प्रदेश	27	2485	1286
जम्मू और कश्मीर	8	213	162
पंजाब	122	5960	4063
राजस्थान	30	1074	681
उत्तर प्रदेश	43	2086	1442
उत्तराखंड	40	1709	911
उत्तरी क्षेत्र कुल	**292**	**14631**	**9385**
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	25	2426	2151
कर्नाटक	25	14131	13393
केरल	28	490	379
पुदुचेरी	10	451	378
तमिलनाडु	102	3753	3341
तेलंगाना	31	2248	1810
दक्षिणी क्षेत्र कुल	**221**	**23498**	**21451**
कुल : निजी क्षेत्र	**930**	**133367**	**104768**

ख) सार्वजनिक क्षेत्र			
		('000टन)	('000टन)
राज्य	**इकाई**	**क्षमता**	**उत्पादन**
छत्तीसगढ़	भिलाई इस्पात संयंत्र	7000	5181
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2200	2295
ओडिशा	राउरकेला इस्पात संयंत्र	3800	4039
झारखंड	बोकारो इस्पात संयंत्र	4600	4117
पश्चिम बंगाल	इस्को इस्पात संयंत्र	2500	2423
पश्चिम बंगाल	अलॉय इस्पात संयंत्र	234	97
तमिलनाडु	सेलम इस्पात संयंत्र	180	140
कर्नाटक	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि.	118	0
कुल :स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)		20632	18292
आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल)	7300	4137
	कुल सार्वजनिक क्षेत्र	**27932**	**22429**
	इकाई	**क्षमता**	**उत्पादन**
कुल: निजी क्षेत्र	**930**	**133367**	**104768**
कुल: सार्वजनिक क्षेत्र	**9**	**27932**	**22429**
कुल सभी क्षेत्र	**939**	**161299**	**127197**

स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)